

कार्यालय :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई।

अशोक टाउन हॉल रोड, जमुई। पिनकोड- 811307, फोन नं०- 06345-222036  
E-mail I.D-jamuidfo@gmail.com

पत्रांक :- 1747

दिनांक :- 27.06.2023

प्रेषक,

पीयूष कुमार बरनवाल, "भा०व०से०"  
वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
जमुई वन प्रमंडल, जमुई।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-  
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य कैम्पा प्राधिकरण, बिहार।

विषय :-

शीर्ष PMGSY योजनान्तर्गत पुल L035- Narganjo to Bakhoribathan (TRACK22)  
LSB-HL RCC Bridge Over Salkhan Jor के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम,  
1980 के तहत 0.0154 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर पृच्छा के संबंध में।

प्रसंग:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची का  
पत्रांक-Fp/BR/Road/152693/2022/1094 दिनांक-09.05.2023 एवं उप वन संरक्षक,  
कार्यालय- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना का पत्रांक-443 दिनांक-20.06.  
2023

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र में की गई  
पृच्छा का निराकरण निम्नवत् है -

1. प्रस्तावित वन भूमि का स्वरूप आरक्षित वन है, जोकि हार्ड कॉपी में इस कार्यालय के माध्यम  
से पूर्व में भी समर्पित की जा चुकी है, जिसकी अधिसूचना संख्या-6539VIF-9/46-R  
दिनांक-10.07.1946 है।
2. उक्त स्थल पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं भारतीय वन (बिहार संशोधित अधिनियम,  
1989) अधिनियम, 1927 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पुल का निर्माण प्रारंभ किया  
गया, जिसके पश्चात् वन विभाग द्वारा संबंधित अभियुक्तों द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980  
एवं भारतीय वन (बिहार संशोधित अधिनियम, 1989) अधिनियम, 1927 के अंतर्गत न्यायालय  
वन-वाद संख्या- 36सी2/2022 (डी.पी.सी. सं०- 26पी./17.03.2022) एवं 37सी2/2022  
(डी.पी.सी.-27पी./17.03.2022) दर्ज किया गया था तथा कार्य रोक दिया गया था, जिसके  
पश्चात् उक्त स्थल पर कोई कार्य नहीं हुआ है। इस योजना के प्रस्ताव के पार्ट-II में  
इसका टंकण भूलवश संसूचित नहीं किया गया था। इस संबंध में की गई कार्रवाई की  
विवरणी इस पत्र के साथ समर्पित की जा रही है।

साथ ही इस प्रस्ताव का पार्ट-II पुनः हार्ड कॉपी में समर्पित किया जा रहा है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वसभाजन,  
वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
जमुई वन प्रमंडल, जमुई।  
27/6/2023

## PART- II

(To be filled by concerned by Deputy Conservator of Forests)


State Serial No. of Proposal .....

7.	Location of the Project / Scheme	Strengthening the PMGS RCC High Level Bridge after Narganjo to Bakhoribathan , Salkhar Jor from 24 Mtr.
(i)	State / Union Territory	BIHAR
(ii)	District	JAMUI
(iii)	Forest Division	JAMUI FOREST DIVISION, JAMUI
(iv)	Area of Forest land proposed for diversion (ha)	0.0154 Ha.
(v)	Legal status of forest	Reserved Forest (Notification No. 6539VIF-9/46-R dated-10-07-1946)
(vi)	Density of vegetation	
(vii)	Species-wise (scientific names) and diameter class wise enumeration of trees (to be enclosed). In case of irrigation / Hydal projects enumeration but FRL-2, & FRL-4 also to be enclosed.	N/A
(viii)	Brief notes on vulnerability of the forest area to erosion.	There is vulnerability of area (in which natural forest patches lie) from soil erosion because of the project.
(ix)	Approximate distance of proposed site for diversion from boundary of forest.	The road itself is declared as Reserved Forest. So, proposed site is Reserved Forest.
(x)	Whether forms part of National Park. Wild Life Sanctuary. Biosphere reserve, Elephant corridor etc. (if so the details of the area and comments of the Chief Wildlife Warden to be Annexed).	No
(xi)	Whether any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in the area, if so details thereof.	In natural patches of forest in this Rcc Bridge, there are few important species for example Sal Drosera ( insectivorous plant)
(xii)	Whether any protection archeological / heritage site defense establishment or any other important monument is located in the area, if so, the details thereof with NOC form competent authority, if required.	No
8.	Whether the requirement of forestland as proposed by user agency in col. 2 of Part-I is unavoidable and barest minimum for the project. If so, recommended area item-wise with details of alternative examined.	There is no alternate Rcc Bridge here; hence requirement of the forest land is unavoidable. But construction of a metallic road will lead to adverse impact on the forest covert of Reserved Forest in the vicinity and on the wildlife present therein (as mentioned in ANNEXURE-VI, DCF Recommendation)Hence construction of an all weather Rcc Bridge instead of a metallic Rcc Bridge can be accepted.

9.	Whether any work in violation of the Act has been carried out (Yes/ No), if yes details of the same including period of work done, and action taken on erring officials, Whether work in violations still in progress.	Yes, 1. Case No. 36C2/2022 (DPC No-26P-dt-17-03-2022) 2. Case No. 37C2/2022 (DPC No-27P dt-17-03-2022)
10.	Details of compensatory Afforestation scheme.	100 plantation of road side Karhritar to Lahaban
(i)	Details of non-forest area / degraded forest area identified for compensatory afforestation, its distance from adjoining forest number of patches, size of each patch.	Attached as Annexure - II
(ii)	Map showing non forest area / degraded forest area identified for compensatory afforestation and adjoining forest boundaries.	
(iii)	Detailed Compensatory afforestation scheme including species to be planted, implanting, agency, time scheduled, cost structure etc.	Attached as Annexure - III
(iv)	Total financial outlay for compensatory afforestation scheme.	Rs 7,71,390/- (Rs. Seven Lakh Fifty Five Thousand Three hundred Fifteen) only
(v)	Certificate form competent authority regarding suitability of area identified for compensatory afforestation and from management point of view. (To be signed by the concerned Deputy Conservator of Forest).	Attached as Annexure - IV
11.	Site inspection report of DCF (to be enclosed. Especially highlighting facts asked in col. 7 (xi), (xii), 8 & 9 above.	Attached as Annexure - V
12.	Division / District profile.	Jamui Forest Division with about 21% forest area of the district.
(i)	Geographical area of the Division/ District	Jamui Forest Division- 381180 ha/ Sheikhpura District- 68900 ha.
(ii)	Forest area of the Division.	62040.5 ha. in Jamui district of Jamui Forest Division.
(iii)	Total Forest area diverted since 1980 with number of cases.	Total Forest Area Diverted since 1980 = 316.181108 ha. Number of cases – 63 (Sixty Three)
(iv)	Total compensatory afforestation stipulated in the district / division since 1980 on.	
	(a) Forest land including penal compensatory afforestation.	Road Plantation 0.5 km 100 Iron Gabion
	(b) Non- Forest land.	NIL
13.	Specify recommendations of the DCF for acceptance or otherwise of the proposal with reasons.	Attached as Annexure – VI

Date : 20/6/2023

Place : JAMUI

  
Divisional Forest Officer  
Jamui Forest Division, Jamui.

# Forest Department, Bihar, Monghyr Division.

## REGISTER OF RESERVED FORESTS

1. District... Monghyr ... 2. Civil Sub-Division... Jamui ... 3. Thana... Chakri ...
4. Village... Mahadipur ... 5. Thana No... 3 ... 6. Tola... Nargarya ... 7. Tola No... 70 ...
8. Notification No. & date u/s 4 & 38 of I. F. Act... 6539-VIF-9146-12 dt. 10.7.47 ...
9. Name and address of the owner :- road will: 6011-VIF-9146-12 dt. 23.6.47  
General Manager, Gidhaur Land Estate
10. Period of lease under section 38 I. F. Act... 50 years ...
11. Notification No. & date of vesting under B. L. R. Act... 963-LR/ZAN dt 21.5.53 ...
12. Gross Average Annual Income intimated to the Collector, Monghyr vide D. F. O.'s No... 6888 ... dated... 23.12.66 ...
13. Notification No. & date under section 20 I. F. Act. ....
14. Date of service of notification under section 21 of the I. F. Act. ....
15. Forest Settlement Records and Map deposited in the District Record Room vide F. S. O.'s letter No... .. dated... ..
16. Area notified :- 

Acres
Hectares

 .....
17. Area demarcated... 755.62

Acres
Hectares

 .....
18. Length of the Boundary lines... 

Miles
Kilometres

 .....
19. No. of Boundary pillars :-  
(a) Masonary... Nos. (b) Earthen... Nos. (c) Total... Nos.
20. No. of sets of demarcated maps available :- Total... sets.  
(a) No. of sheets in a set (b) Master copy... (c) Divisional copy...  
(d) Range copy... (e) Beat copy...
21. Details of plots notified & demarcated :-

Plot Nos. notified u/s 4 I. F. Act.	Plot Nos. demarcated		Area in acre Hectares
	Full Plots	Part Plots	
906, 907, 917, 918, 334.	939, 899, 970, 908, 920, 1, 2, 190, 176, 175, 258, 595, 971, 333, 300, 107, 4, 7, 1290.		

*Lijush*  
 Divisional Forest Officer,  
 Jamui Forest Division  
 Jamui-841307

186  
12/8/46

**Notification**

The 10th July 1946

No. 6339-VIF-9/46-R.—It is hereby declared that in accordance with an application under section 35 of the Indian Forest Act, 1927 (XXVI of 1927), made to the Collector of Monghyr by the General Manager, Gidhaur Works Estate, P. S. Jamui (district Monghyr), the Government of Bihar is pleased to apply to the forest lands described in the schedule annexed hereto all the provisions of the said Indian Forest Act which are applicable or may hereafter be extended to apply to the reserved forest belonging to Government in the districts of Monghyr and Gaya.

3. The Governor of Bihar is further pleased, in exercise of the power conferred by the said section 4, to appoint Mr. Rajkishore Prasad Sinha, no. 1, Sub-Deputy Magistrate and Sub-Deputy Collector, to be the Forest Settlement Officer to enquire into and determine the existence, nature and extent of any right alleged to exist in favour of any person in or over any of the said lands, or in or over any forest produce to be found therein and deal with the same as provided by Chapter II of the said Act.

2. The Governor of Bihar is further pleased to declare in pursuance of section 4 of the said Act his intention of constituting the said lands a reserved forest.

4. The Governor of Bihar is pleased, in exercise of the power conferred by section 17 of the said Act, to appoint the Collectors of Monghyr and Gaya to hear appeals referred to in that section in respect of the forests situated within their respective jurisdiction.

**SCHEDULE**

All forest lands in the following villages.

Serial no.	Name of village.	Thana.	Thana no.	Name of district	Name of subdivision
1	Mahapur	Chakal	8	Monghyr	
2	Dumri	Do.	18	Do.	
3	Ghutwe	Do.	18	Do.	
4	Chakal	Do.	24	Do.	
5	Karangarh	Do.	26	Do.	
6	Dhanwe	Do.	35	Do.	
7	Silphari	Do.	80	Do.	
8	Pawada	Do.	55	Do.	
9	Bemaris	Do.	49	Do.	
10	Batpar	Do.	60	Do.	
11	Kajra	Euraingerha	66	Do.	
12	Lakhsara	Lakhsara	67	Do.	
13	Do.	Sikandra	68	Do.	
14	Jamui	Jamui	70	Do.	
15	Pakari	Pakari	71	Do.	
16	Rajauli	Rajauli	72	Do.	



*Divisional Forest Officer  
JA. nul Forest Division  
Jamui-11-9-46*

Memo No. 7213-R., Patna, the 1st August, 1946. By order of the Governor of Bihar, F. E. A. TAYLOR, Secy. Copy forwarded to the Collector of Monghyr for information and communication to the Forest Settlement Officer.

Memo No. 10639, Monghyr, the 9th August, 1946. Under Secretary to Government. Copy forwarded to the Forest Settlement Officer, Jamui, for information.

Collector.  
7-8-46

M.A. 8/2

42  
4/11

ERRATUM.

The 23rd June 1947.

VII-9/46-R.—The Governor of Bihar is pleased to direct that for the schedule appended to Government Order 5339-VI-P-9/16-R., dated the 10th July 1946, the following shall be substituted:—

SCHEDULE.

shall be the following villages and tolas.

No.	Name of village.	Thana no. of village.	Name of tola.	Tola no. as allotted at revenue settlement.	Name of thana.	Name of subdivision.	Name of district.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mahapur ...	3	Dakikolwa ...	1	Chakal ...	Jamui ...	Monghyr.	
			Kaljingaha ...	2				
			Kuldearkhurd ...	3				
			Kakania ...	4				
			Kanan ...	8				
			Fatehpur ...	9				
			Sabajpura ...	10				
			Sundari ...	18				
			Gomdara ...	21				
			Mankura ...	24				
			Dhobiakera ...	25				
			Chito chak ...	26				
			Barwasia ...	27				
			Tumbapahar ...	30				
			Auria ...	31				
			Burhanajr ...	32				
			Harna ...	33				
			Satghat ...	34				
			Tetaria kalan ...	35				
			Tetaria khurd ...	36				
			Nawadih ...	39				
			Chilko ...	40				
			Bekatanr ...	41				
			Tarakura Nawadih ...	42				
			Tarakura chhapa ...	43				
			Barajor ...	44				
			Hachauja ...	45				
			Chhapa ...	46				
			Baratanr ...	47				
			Karke ...	48				
			Kand ...	49				
			Gora, tangi ...	60				
			Kathautia Kalan ...	61				
			Kathautia Khurd ...	62				
			Balaganr ...	63				
			Fatehpur ...	64				
			Dumamah ...	66				
			Sikardi ...	68				
			Kanatal ...	67				
			Porsil ...	68				
			Parsatanr ...	69				
			Ukharis ...	60				
			Asa ...	61				
			Dario ...	62				
			Bora ...	63				
			Mandeghat ...	64				
			Mishrapur ...	66				
			Randih ...	66				
			Dongajharna ...	67				
			Bakhori Bathian ...	68				
			Maniktham ...	69				
			Narganjo ...	70				
			Siritanr ...	71				
			Tithichak ...	72				
			Kumhaini ...	73				
			Padra ...	74				
			Agaria kalan ...	76				
			Agaria khurd ...	76				
			Rajlakshu ...	77				
			Rajakhoir ...	78				
			Janua ...	79				
			Bahadri ...	80				
			Nagaria ...	81				
			Kupat ...	82				
			Tarna ...	83				
			Nagarantari ...	84				
			Parsi ...	85				
			Dhatia ...	86				
			Pipra ...	87				
			Choramara ...	88				
			Ukharis ...	89				
			Barakela ...	90				
			Chhara ...	91				
			Pachakathia ...	92				
			Paijharna ...	93				
			Kharajuna ...	94				
			Dhanukatar ...	95				
			Tinatbandar ...	96				
			Chupam ...	97				
			Chupathal ...	98				

*Devesh*  
Divisional Forest Officer  
Jamui Forest Division  
Jamui-811302

कार्यालय :-वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई।

अशोक टाउन हॉल रोड, जमुई। पिनकोड- 811307, फोन नं०- 06345-222036

E-mail I.D-jamuidfo@gmail.com

पत्रांक :- 720

दिनांक :- 31/3/22

प्रेषक,

पीयूष कुमार बरनवाल, भा०वसे०,  
वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
जमुई वनप्रमंडल, जमुई।

सेवा में,

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,  
जमुई।

विषय :-


डी० पी० सी० संख्या-25<sup>P</sup> से 34<sup>P</sup> दिनांक 17.03.2022 कुल 9 (नौ) अभियोजन प्रतिवेदनों को वन अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत न्यायिक कार्रवाई प्रारंभ करने के संबंध में।

महाषय,


सादर सूचित करना है कि ऊपर अंकित लम्बित अभियोजन प्रतिवेदनों पर न्यायिक कार्रवाई प्रारंभ करने की कृपा की जाए।

अनु०-यथोक्त।

Total. (9) D.P.C. 25 to 34

  
6/4/22

विश्वासभाजन,



वन प्रमंडल पदाधिकारी, 31/3/22  
जमुई वन प्रमंडल, जमुई।



## वन विभाग, बिहार

जागृत वन प्रमण्डल जागृत  
अपराध रिपोर्ट सं 35P ता. 16.01.2022

राजस्व केंद्र  
रंज

## अपराध का स्वरूप

अवैध आतिक्रम

पता चलने की तारीख और समय 16.01.2022 07 AM.  
घटना स्थल नारायणी अनारक्षित वन, नारायणी मानिक भाग वन पट्टा  
किसने पता लगाया श्री अनंदा कुमार वनरक्षी

वन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता का निर्देश।

भारतीय वन (बिहार संशोधन) अधिनियम 1989 की धारा 33.41 एवं 42

भारतीय वन (बिहार संशोधन 1989) अधिनियम 1929 की -

धारा - 26 एवं 66A

## अभियुक्तों के नाम

नाम	पिता का नाम	निवास स्थान			
		गाँव	पोस्ट	थाना	जिला
① नरुनी सिंह	सहायक अभियंता, प्राचीन	कार्प विहार	कार्प	कार्प	
② अनंदा कुमार	कार्प पालक अभियंता	"	"	"	
③ संजय माहो	संवेदक, थाना-गोविन्दपुर	पो- खैता थाना	खैता थाना	खैता थाना	खैता थाना
④ प्रकाश महतो	कनिष्ठ अभियंता, प्राचीन	कार्प विहार	कार्प	कार्प	

## साक्षियों के नाम

① श्री अनंदा कुमार	वनरक्षी, नारायणी उपविभागाध्यक्ष, कार्प				
② श्री प्रकाश महतो	वनरक्षी, अनारक्षित वन प्राचीन	नारायणी	कार्प	प्रखंड	
③ अनंदा कुमार	वन पारिवर्तन पदाधिकारी	कार्प			

तथ्यों की पूरी रिपोर्ट पन्ने की दूसरी ओर है।

विस्तार पूर्वक सभी तथ्यों की पूरी रिपोर्ट  
[यह घटना के दूसरे दिन तक ही तैयार कर लिया जाय]

संज्ञा में

वन प्रभंडल पदाधिकारी

जगुई वन प्रभंडल जगुई

विषय :- आंगण अभिप्राय पत्र समर्पित किए जाने के संबंध में

आद निवेदन है कि CR No. 00068 dt. 16.01.2022 में पत्रिका में दिनांक 17.01.2022 को बनायी गयी अनीस कुमार के द्वारा समर्पित किया गया जिला सतमा की जॉन हेनु बमदवी की पुनर के साथ दिनांक 18.01.2022 को करण स्थल पर बनाये गए क्षेत्र पत्रिका अर्द्धनिर्दिष्ट पत्रिका के पास बना मिट्टी एवं मोरम डिवाइड अर्द्ध बी 1 स्थल पर केई मीठुद नदी बना पास के गाँव अदिवरिया बनायी के साथ नाम पर 26.04.2022 को बनाया कि मिट्टी मोरम राखी के साथ निवेदन के द्वारा डिवाइड अर्द्ध है।

अर्द्ध क्षेत्र पत्रिका पुनर्नामा वन जंगल के अर्द्ध है  
जिला अभिप्राय No- 963 L.R/2AN dt. 24.03.1953 है।

उप पर कर वन प्रभंडल अभिप्राय, सतमा अभिप्राय  
नवीन अभिप्राय एवं निवेदन के द्वारा जिला वन (विद्यार् 6 गोमपा 1953)  
अभिप्राय 1923 की साथ 266 के वन प्रभंडल अभिप्राय की पुनर्नामा  
की अर्द्ध है।

अतः आदेश है कि इन अभिप्रायों पर कृपया आदेश  
कार्रवाई की जाए।

अतिरिक्त वन अर्द्ध 12M x 12M = 144 SqM.  
मूलिक क्षेत्र अर्द्ध पत्रिका 13M x 13M = 169 SqM  
मूलिक क्षेत्र अर्द्ध पत्रिका 0.0313 Hectre  
विद्यार् 6 गोमपा

अनुसूचक

CR No. 00068 (वीन प्रभंडल) दिनांक 16/01/2022

वन परिसर पदाधिकारी  
ज्ञाना



## वन विभाग बिहार सरकार

जमुई वन प्रमण्डल

अपराध रिपोर्ट सं० 35P

ता० 26/01/2022

[ राजस्व केन्द्र

आजका प्रदोष

[ रेंज।

ज्ञाप सं० 64

ता० 26/01/2022

वन संरक्षक जमुई वन प्रमण्डल

34 को जप्ती रिपोर्ट की एक प्रति और आदेशिका जारी करने के लिए एक आवेदन के साथ अग्रसारित।


पञ्चायत प्रदाधिकारी [ राजस्व केन्द्र  
वन के क्षेत्र प्रक्षेत्र [ रेंज।  
भाग

ज्ञाप सं० 31/3/22

ता० 31/3/22


मजिस्ट्रेट को

आदेशिका तामिल करने के लिए एक आवेदन और निम्नलिखित दस्तावेजों भेजी जाती है


  
 वन प्रमण्डल, जमुई

सहायक प्रभारी वन संरक्षण

प्रमण्डल


  
 वन प्रमण्डल, जमुई

अनुसूची 18 - फारम सं० 21 क

## वन-विभाग, बिहार

सं० 0068.....

जमुई वन प्रमण्डल

टिप्पणी - यह रिपोर्ट पता लगाने के 24 घंटे के अन्दर प्रस्तुत की जानी चाहिए।  
अपराध रिपोर्ट सं०.....

1. घटना- स्थल - नारंगवाँ माणिकघान वन पथ (अद्वरीयाश्रम के पास)  
पता लगाने की तारीख और समय - दिनांक - 16/01/2022 समय 7 बजे दिन
3. अपराधी का नाम, उसके पिता का नाम और निवास - ① नथुनी सिंह पं०  
अध्यक्ष अभियंता, ग्रामिण कार्य विभाग काका ② अमिशुर अहमान  
कार्यपालक अभियंता, ग्रामिण कार्य विभाग काका ③ अनुराज यादव  
अध्यक्ष काका ④ प्रकाश महरा कनिष्ठ अभियंता, ग्रामिण कार्य विभाग काका
4. जल सम्पत्ति यदि हो - X
5. जल सम्पत्ति की अभिरक्षा - X
6. साथी का नाम, उसके पिता का नाम और निवास, यदि हो - ① प्रकाश यादव अध्यक्ष वन अभियंता माणिकघान।
7. अपराध का स्वरूप और तथ्य विवरण -

सेवा में,  
वन परिसर पदाधिकारी  
काका वन परिसर, काका

महोदय,

सादर निवेदन पूर्वक सूचित करना है कि नारंगी मानिकथान आरक्षित वन गली के क्रम में पना चला कि पार पुर पर अंकि व्यक्ति द्वारा व्यक्ति में अवैध रूप मारम एवं मिट्टी मानिकथान में मिट्टी पुल पर टोया गया है एक ट्रेक्टर एवं ज.स.उ के माध्यम मिट्टी 10 घीप लंबाका गिराया गया है नरपञ्चान पुल (धरना स्थल) पर जाकर देखा तो पाया कि राजा ट्रेक्टर चेकका का निशान मौजूद है एवं कुछ नया मिट्टी एवं मारम देवने के पना चला रहा है।

अज्ञानीय लोगों के पुनर्वाह किया तो पना चला कि पुल निर्माण के बड़े व्यक्ति <sup>के</sup> मिट्टी में आये थे एवं ये सब कार्य करवाये हैं।

अना श्री मान के नमू निवेदन है कि सख्त कानूनी आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाये।

श्री मान का विश्वासी

अनीश कुमार


वनरक्षी

नारंगी उन्नी उपपरिसर

16/01/2022

## वन विभाग, बिहार

..... अ.मुई. वन. प्रमण्डल ..... अ.मुई.....  
 अपराध रिपोर्ट सं0 ..... 34P ..... ता0 ..... 30/11/2021.....



..... मामला -

राजस्व केन्द्र  
 रेंज।

अपराध का स्वरूप

अवैध अतिक्रमण

पता चलने की तारीख और समय ..... 12.11.2021 ..... दिन ..... 3 ..... वार .....  
 घटना स्थल ..... नारायणो आरक्षित वन, नारायणो, नानिकवान, वन पट्टा  
 किसने पता लगाया ..... श्री. सती कुमार, वनरक्षी, अद्वैतिया, ग्राम, 6445

वन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता का निर्देश।  
 भारतीय वन (बिहार संशोधन) अधिनियम 1989 की धारा 33.41 एवं 42

भारतीय वन (बिहार संशोधन 1989) अधिनियम 1989

की धारा - 26, 66A

अभियुक्तों के नाम

नाम	पिता का नाम	निवास स्थान			
		गाँव	पोस्ट	थाना	जिला
① अनिश्वर कुमार	कार्यपालक अभियंता, ग्राम	कार्यपालक	विभाग -	मामला -	
② नयुनी सिंह	सहायक अभियंता,	"	"	"	
③ प्रकाश कुमार	कनिष्ठ अभियंता,	"	"	"	
④ सती कुमार	सर्वेक्षक, ग्राम. गोविन्दपुर	पो. सेना थाना-वि.	डोंग	जि. - अ.मुई.	

साक्षियों के नाम

① श्री. सती कुमार, वनरक्षी, नारायणो अपारिचर,	मामला -			
② श्री. मनोरंजन कुमार, वनरक्षी, गडापुर अपारिचर,	मामला -			
③ अनिल कुमार, वन परिचर पदाधिकारी,	मामला -			

*Signature*

तथ्यों की पूरी रिपोर्ट पन्ने की दूसरी ओर है।

विस्तार पूर्वक सभी तथ्यों की पूरी रिपोर्ट  
[यह घटना के दूसरे दिन तक ही तैयार कर लिया जाय]

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
जमुई वन प्रमंडल जमुई

विषय: अनियमित आगोशान प्रतिवेदन समाप्ति, फिर जान के संबंध में;  
गहाडा

आरक्षित वन आगोशान गहाडा में आरक्षित वन प्रमंडल में पार पुरा  
पर आगोशान आगोशान के द्वारा अनियमित रूप से वन भूमि का आगोशान  
कर पूर्णतया निर्माण कार्य फिर जाने संबंधी अपराध प्रतिवेदन  
सं. 00067 दिनांक 12.11.2021 प्राप्त हुआ।

जिसकी सहायता की जांच हेतु  
दिनांक 13.11.2021 के तारखी श्री सखी कुमर के साथ करना हाल  
पर जमाना करना सहायता प्राप्त। इस पर कोई कार्य इस समय नहीं  
है रहा था। विशेष जानकारी हेतु सहायता के लक्ष्य के जांच -  
सहायता जाकर आगोशान के पुनर्निर्माण किया नो पना - यहाँ 12  
पूर्णतया निर्माण कार्य आगोशान कार्य विभाग गहाडा के निदेशानुसार संबंध  
सहायता भाषण के द्वारा करवाया जाएगा।

अध करना हाल पुनर्निर्माण वन भूमि  
के अन्तर्गत है जिसकी अधिनियम सं. 9634 RIZAN सं. 24.05.1983 है।  
कार्य करवाने वाले विभाग के द्वारा वन विभाग से अनुरोध प्रमाण पत्र  
भी प्राप्त नहीं किया गया है।

इस प्रकार कार्यपालक आगोशान, आगोशान कार्य  
विभाग गहाडा, सहायता आगोशान, वन भूमि आगोशान एवं संबंधित सहायता भाषण  
के द्वारा भारतीय वन (विस्तार संशोधन 1989) अधिनियम 1927 अ)  
द्वारा 26,664 हेक्टर संबंधित अपराध किया गया है।

अति: आगोशान के आगोशान के  
विस्तार अधिनियम (अधिनियम) के अन्तर्गत करने की पूर्णतया जांच।

अपराध वन भूमि 240M x 645M.  
= 154.8 square meter or 0.0154 Hectre

संलग्नक  
OR No 00067 (वीन प्रतिवेदन)

विस्तार जांच  
[Signature]  
15/11/21

वन परिसर पदाधिकारी  
झांझा



# वन विभाग बिहार सरकार

..... प्रमण्डल  
 अपराध रिपोर्ट सं० ..... जमुई वन  
 ता०..... 30/11/2021 34P

..... [ राजस्व केन्द्र  
 [ रेंज।  
 ज्ञाप सं०..... 567  
 ता० ..... 30/11/2021

..... प्रमण्डल  
 उप वन संरक्षक..... जमुई वन  
 को जप्ती रिपोर्ट की एक प्रति और आदेशिका जारी करने के लिए एक आवेदन के साथ अग्रसारित।

..... प्रभारी पदाधिकारी  
 [ राजस्व केन्द्र  
 [ रेंज।  
 ज्ञाप सं०.....  
 ता० ..... 31/3/22

..... को  
 मजिस्ट्रेट.....  
 आदेशिका तामिल करने के लिए एक आवेदन और निम्नलिखित दस्तावेजों भेजी जाती है

*Ciyash*  
 वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
 जमुई वन प्रमण्डल, जमुई

..... प्रभारी वन संरक्षण  
 प्रमण्डल  
*Ciyash*  
 वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
 जमुई वन प्रमण्डल, जमुई

अनुसूची 18 - फारम सं० 21 क

## वन-विभाग, बिहार

पं० 00067

जगदीश वन प्रमण्डल

टिप्पणी - यह रिपोर्ट पता लगाने के 24 घंटे के अन्दर प्रस्तुत की जानी चाहिए ।  
अपराध रिपोर्ट सं०.....

1. घटना- स्थल - नरगंजी मानिकथान वन पथ  
(अद्वैतगंवाँ ग्राम के पास)

12/12/21 पता लगाने की तारीख और समय - 12/11/2021 - 12 बजे दिन

3. अपराधी का नाम, उसके पिता का नाम और निवास - अश्विनी कुमार रघुमान  
कार्यपालक अभिगता, ग्रामीण कार्य विभाग झाझा (2) नभुनी सिंह  
सहायक अभिगता, ग्रामीण कार्य विभाग झाझा (3) प्रकाश सहाय  
कनिष्ठ अभिगता, ग्रामीण कार्य विभाग झाझा (4) सजोद साहव  
सहायक झाझा

4. ज्वल सम्पत्ति यदि हो - X

5. ज्वल सम्पत्ति की अभिरक्षा - X

6. साथी का नाम, उसके पिता का नाम और निवास, यदि हो (1) मनीरंजन  
कुमार वनरक्षी

7. अपराध का स्वरूप और तथ्य विवरण -  
स्वेचा से

वन परिसर पदाधिकारी झाझा

संघाशय

सविनय निवेदन कथना है। कि उस पार लिखे तारिक रव  
समय पर अपने साथी के साथ जगल गस्ती करते हुए घटना  
स्थल पर पहुंचा तो देखा की जगली नाले जो सड़क की  
बिचो-बिच पार कर रही थी। पानी को रोक कर गढ़ा खोदई  
कर प्रवाह रोका कर पुनीया निर्माण कार्य किया जा रहा है।  
स्थल पर कोई मजदूर कार्य नहीं कर रहा था

उक्त गढ़ स्थल भदवरिया ग्राम के समीप है।  
भदवरिया ग्राम जाकर कुल के सम्बंध में जानकारी प्राप्त किया  
तो पता चला की गढ़ कार्य ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा के  
द्वारा करवाया जा रहा है। उक्त आग्रह है कि उचित कानुनी  
कार्रवाई करने की कृपा किया जाय।

जीमान का विश्वासी

Jummy Kumar  
12/11/2021

उत्ती रव श्रीजी नरगजी उपपरिहार